बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

विज्ञप्ति संख्या – पी0आर0 ..../2026

माध्यमिक विशेष परीक्षा, 2026 एवं माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र समिति के वेबसाइट पर जारी करने के संबंध में आवश्यक सूचना।

एतद् द्वारा माध्यमिक विशेष परीक्षा, 2026 एवं माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के परीक्षार्थियों, उनके अभिभावक, विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0) तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक विशेष परीक्षा, 2026 एवं माध्यमिक कम्पार्टमेन्टल परीक्षा, 2026 के **इंटरनल एसेसमेंट/प्रायोगिक परीक्षा (दिनांक 29.04.2026 से 30.04.2026 तक) एवं सैद्धान्तिक परीक्षा (दिनांक 02.05.2026 से 06.05.2026 तक) में** सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र समिति के वेबसाईट **https://exam.biharboardonline.org अथवा https://biharboardonline.com** पर जारी कर दिया गया है, जो **दिनांक 06.05.2026 तक** समिति के वेबसाईट पर अपलोड रहेगा।

2. संबंधित विद्यालय के प्रधान से अनुरोध है कि अपने विद्यालय से परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों का प्रवेश–पत्र उक्त वेबसाइट से डाउनलोड कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ संबंधित परीक्षार्थी को प्राप्त कराना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रवेश पत्र का वितरण पंजी भी संधारित कर सुरक्षित रखेंगे।

3. संबंधित परीक्षार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने विद्यालय के प्रधान से अपना प्रवेश–पत्र (विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहरयुक्त) प्राप्त कर लेंगे तथा इंटरनल एसेसमेंट/प्रायोगिक परीक्षा हेतु दिनांक 29.04.2026 से 30.04.2026 तक की अवधि में विद्यालय में एवं सैद्धान्तिक परीक्षा हेतु दिनांक 02.05.2026 से 06.05.2026 तक की अवधि में अपने प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित तिथि एवं पाली के अनुसार परीक्षा देने हेतु उपस्थित होंगे।

4. विद्यालय के प्रधान/परीक्षार्थियों को विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि यह प्रवेश–पत्र केवल उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में उत्प्रेषित/उत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए ही मान्य होगा। उत्प्रेषण (Sent-up)/जाँच परीक्षा में गैर–उत्प्रेषित/अनुत्तीर्ण/अनुपस्थित छात्र/छात्रा तथा वैसे विद्यार्थी जिनका नामांकन रद्द किया जा चुका है, उक्त परीक्षा में कदापि सम्मिलित नहीं होंगे।

5. **दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए श्रुतिलेखक (Scribe/Writer) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के संबंध में**:– सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्रांक- F.No 34-02/2015-DD III, दिनांक–29-08-2018 एवं पत्रांक F.No29-06/2019-DD III दिनांक–10-08-2022 द्वारा संसूचित प्रावधान के आलोक में दिव्यांग परीक्षार्थियों की सुविधा हेतु श्रुतिलेखक (Scribe/Writer) उपलब्ध कराने के संबंध में सैद्धान्तिक परीक्षा संचालन के लिए निर्गत निर्देशिका की कंडिका– 11 में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए निदेश संसूचित है। श्रुतिलेखक (Scribe/Writer) की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में 20 मिनट प्रति घंटा का क्षतिपूरक समय (Compensatory time) देय होगा। दिव्यांगजन को परीक्षा प्रारंभ होने के एक सप्ताह पूर्व संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन देना होगा।

6. ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की असुविधा होने पर समिति के हेल्प लाइन नं0–9430429722, 0612–2232239 पर सम्पर्क किया जा सकता है अथवा E-mail Id : bseb@antiersolutions.com पर सूचित कर समाधान प्राप्त किया जा सकता है।

18.04.26

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।

ज्ञापांक : केन्द्रीय (मा०)– 110/26 प्र0– 1261 /पटना, दिनांक : 18 / 04 /2026

प्रतिलिपि : 1. जन सम्पर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं दिनांक 20.04.2026 को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित। यह भी अनुरोध है कि निदेशानुसार विज्ञापन प्रसारण की सूचना राज्य के सभी विद्यालयों के ई–मेल/WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय। इसकी सूचना विद्यालय प्रधान एवं संबंधित विद्यार्थियों को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाय। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाए। तद्नुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

2. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, बिहार को वर्णित आलोक में सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि दैनिक वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विद्यालय के प्रधान को स्पष्ट रूप से निदेशित किया जाए कि वैसे विद्यार्थी जो गैर–उत्प्रेषित, अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण हो एवं जिनका नामांकन रद्द हो चुका है, परंतु विद्यालय के प्रधान द्वारा ऑनलाइन परीक्षा आवेदन भरे जाने के कारण यदि प्रवेश–पत्र जारी हुआ है, तो उनका प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाए।

3. सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

Newspaper C1_26_49

4. युवा सचिव, राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ, बिहार शाखा, फ्लैट नंबर–402, चौथा तल्ला, मोकामा हाउस, जनक किशोर रोड, साहित्य सम्मेलन, कदमकुआँ, पटना–800003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5. प्रोजेक्ट मैनेजर, ANTIER SOLUTIONS PVT. LTD. को सूचनार्थ भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त के अनुसार सभी आवश्यक व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय एवं दिनांक 20.04.2026 से विद्यार्थियों का विधिवत् त्रुटिरहित प्रवेश पत्र (गैर–उत्प्रेषित, अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों एवं जिनका नामांकन रद्द हो चुका है, को छोड़कर) ऑनलाइन जारी किया जाय तथा किसी प्रकार की समस्या/शिकायत मिलने पर उसका तत्क्षण निराकरण कराया जाय। यह भी अनुरोध है कि जिले से प्राप्त नामांकन रद्द विद्यार्थियों की सूची जो आपको उपलब्ध करायी जा चुकी है, उन सूचीबद्ध विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र किसी भी परिस्थिति में जारी नहीं किया जाएगा। इस पर विशेष ध्यान देना सुनिश्चित करेंगे।

6. (i) उप निदेशक, आई0टी0/सिस्टम एनालिस्ट (माध्यमिक) को सूचनार्थ एवं निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त निदेश के आलोक में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए एजेंसी से समन्वय स्थापित कर अनिवार्य व्यवस्था की जाय एवं इसकी जाँच कर आश्वस्त हो लें कि छात्र/छात्राओं का त्रुटिरहित प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की गई है। उक्त कार्यों का सतत् निरीक्षण एवं अनुश्रवण करते हुए उत्पन्न किसी समस्या का तत्क्षण निराकरण कराया जाय।

(ii) यह भी अनुरोध है कि छात्र/छात्रा, उनके अभिभावक, विद्यालयों के प्रधान, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (मा0शि0), जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी के जानकारी हेतु इस विज्ञप्ति की प्रति समिति के वेबसाईट तथा BSEB Mobile App पर अपलोड किया जाए ताकि सभी संबंधितों द्वारा अपने स्तर पर इस निमित्त आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

(iii) निदेशानुसार यह भी अनुरोध है कि विज्ञापन प्रसारण की सूचना **राज्य के सभी माध्यमिक स्तर के विद्यालयों को ई–मेल/ WhatsApp के द्वारा प्रेषित किया जाय।** इसके लिए विद्यालयों के प्रधान का WhatsApp ग्रुप बनाया जाए। इसकी सूचना माध्यमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधान को SMS के द्वारा भी उपलब्ध करायी जाए। यह सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रसारित किया जाएगा। तदनुसार सभी आवश्यक कार्रवाई करते हुए जन संपर्क पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी अवगत कराना सुनिश्चित करें।

7. वित्त पदाधिकारी/मुख्य लेखा पदाधिकारी (मा0) एवं मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–मुख्य नोडल पदाधिकारी एवं सभी नोडल पदाधिकारी, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8. अध्यक्ष एवं सचिव के आप्त सचिव, विशेष कार्य पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक (उ०मा०/विविध) तथा निदेशक, आई0टी0 को सूचनार्थ प्रेषित।

18.04.26

परीक्षा नियंत्रक (माध्यमिक)
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति।